


Case No- 2021/31

फर्द अहकाम
अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-मरतपुर
आर०के० सेहरावत बनाम उपखण्ड अधिकारी डीग
किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 12 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.02.2020	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त ^{आर०} आ०के० सेहरावत निवासी ए-1/79, एफ.एफ.इनेल, न्यू सराय, नई दिल्ली-68 की अपील उपखण्ड अधिकारी, डीग के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि उसके द्वारा दिनांक 10.09.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी डीग से सूचनाएं चाही गई थी किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/निर्वा/आरटीआई/20/5547 दिनांक 07.12.2020 से अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई हैं। प्रथमतः अपीलान्त का अपील आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलान्त ने अपनी अपील के साथ न तो लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किये गए प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2020 की प्रति संलग्न की है और न ही अपनी अपील में यह अंकित किया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी से क्या क्या सूचना चाही गई हैं। अपील में वर्णित तथ्य अस्पष्ट होने से अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। सूचना अपीलान्त को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	


जिला कलक्टर
भगतपुर (गज०)

